केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/24/00104

संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/24/00309

अपीलकर्ता श्री मनीष कुमार

[redacted]

| | |
|---|---|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि | 24.07.2024 |
| संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि | 01.08.2024 |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि | 05.08.2024 |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी | श्री एस.के. चितकारा, CPIO (DR to CIC) |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि | 02.09.2024 |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि | 04.09.2024 |
| निर्णय की तारीख | 04.10.2024 |

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 24.07.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

"मैं मनीष कुमार मेरे संबंध में पूर्व राष्ट्रपति में सूचना और सन्देश मेरे आधार से नहीं जुड़े हुए नंबर Airtel. 8235993664 और gmail id Manish kumar 404 @gmail.com पर post MP सुनिश्चित किया गया जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से वार्ता हुई वार्ता जिस मंत्री के जरिये हुई उस संबंध में मेरा मेडिकल नं 85637/18 RMC dt 12/4/18 to 16/4/18 जिसकी सूचना RTI No. CICOM/R/P/20/00010 पर दी गई है साथ ही जवाहर व्यापार भवन टॉलस्टॉय मार्ग के समीप मंत्र के माध्यम से सोनिया गाँधी, राहुल गाँधी, नितीश कुमार वर्तमान राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति से देशहित में वार्ता हुई है। चूकी राष्ट्रपति रामनाथ कोबिंद के आदेश पर PMO को सूचना पत्र के जरिये दी गई है परन्तु कार्यालय कार्य नहीं करने के कारण मुझे सड़क से कार्य करना पड़ रहा है। चूकि इस संबंध में CIC No 122932 18/7/2024 दस्तावेज सल्गन पर चूका हूँ। MP Post के दस्तावेज सलग्न कर रहा हूँ कृपया महोदय से अपील है की राष्ट्रपति के द्वारा मेरे संबंध में जो सूचना आयी है उस पर न्याय दे।"

2. प्रदान की गई सूचना

श्री एस.के. चितकारा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी पत्र दिनांकित 05.08.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई -:

"With reference to your RTI application dated 24.07.2024 received on 01.08.2024, it is informed that information sought by you is not clear. You are advised to seek information as defined under section 2(f) of the RTI Act, 2005."

3. प्रथम अपील का आधार

"अपीलकर्ता, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं है।."

4. निर्णय

आर.टी.आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई.आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00309 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। उल्लेखनीय है कि सूचना अधिकार अधिकारी अधिनियम की धारा 2(च)के प्रावधानों के अनुसार एक जन सूचना अधिकारी केवल सम्बंधित लोक प्राधिकरण के रिकॉर्ड में एक सामग्री के रूप में उपलब्ध सूचना ही प्रदान कर सकता है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 04.10.2024

C. I. C. /के० सू० आ०
RECEIVED
04 OCT 2024
D. No. 244
Initials........

5.20 PM

(ब्रिगेडियर विपिन चक्रवर्ती)
रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।